

न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक  
(चिन्मयी गोपाल, आई०ए०एस०द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या  
प्रविष्टि दिनांक

19 / 2020  
20-2-2020

मोती पुत्र श्री बाबूलाल बैरवा निवासी सोप तहसील उनियारा जिला टोंक राज०

—अपीलान्ट

बनाम

नायब तहसीलदार सोप जिला— टोक

—रेस्पोजेण्ट



अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956  
विरुद्ध निर्णय नायब तहसीलदार सोप दिनांक 14-10-2019 मिसल नम्बर  
724 / 2019

उपस्थिति : (1) श्री जितेन्द्र कुमार जैन अभिभाषक अपीलान्ट  
(2) श्री मजहर आलम, राजकीय अभिभाषक रेस्पोजेण्ट

निर्णय

दिनांक 1-9-2021

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सोप ने अपने निर्णय दिनांक 14-10-2019 के द्वारा अपीलान्ट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 950/3235 रकबा 0.30 है०.वाके ग्राम शोप की किस्म बाराणी प्रथम भूमि पर उड़द की फसल काश्त करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए भूमि से बेदखल करने 120/रूपये की पेनल्टी कायम कर 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का आदेश दिया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार सोप के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पोजेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट को नायब तहसीलदार सोप द्वारा केवल पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही करते हुए बिना तथ्यों की जाँच किये एवं अपीलान्ट को साक्ष्य सफाई का अवसर दिये बिना निर्णय पारित किया है जो विधि विधान एवं तथ्यों के वितरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट ने वर्तमान में किसी भी सरकारी



जिला कलेक्टर

अथवा गैर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है, ओर न ही कोई सुल काशत कर रखी है। पटवारी हल्का ने किसी रंजिश के कारण अपीलान्ट के विरुद्ध झूठी शिकायत करते हुए उक्त गलत रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर दी ओर अधीनस्थ न्यायालय ने बिना सच्चाई की जांच किये कार्यवाही करते हुए उक्त दण्डादेश पारित किया है। अपीलान्ट को निर्णय से पूर्व सुने बिना एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किये बिना निर्णय पारित किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दोषपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अपीलान्ट के अभिभाषक ने लिखित बहस भी प्रस्तुत की है जिसमें भी अंकित किया है कि अपीलान्ट को कोई नोटिस जारी नहीं किया तथा उसकी तामील नहीं हुई इस प्रकार बिना सुने निर्णय दिया है जो नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है ओर चलने योग्य नहीं है। अपीलान्ट का मौके पर वर्तमान में कब्जा नहीं है, कब्जा छोड़ दिया है तथा भविष्य में भी कब्जा नहीं करेगा इस बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है एवं न्यायालय के आदेश के अनुसार शपथ पत्र देने को तैयार है। इस कारण अपीलान्तीन आदेश को निरस्त किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलान्ट की विधिवत रूप से तामील हुई है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। अपीलान्ट ने विवादित भूमि खसरा नम्बर 950/3235 रकबा 0.30 है0,वाके ग्राम शोप की किस्म बारानी प्रथम भूमि पर उड़द की फसल काशत पश्चातवर्ती अतिक्रमी किया है। इस भूमि पर अपीलान्ट ने पहले भी अतिक्रमण किया था ओर अब पुनः अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विवादित भूमि से पूर्व में पत्रावली सं0 85/18 निर्णय दिनांक 15-11-2018 से बेदखल किया गया था एवं पुनः पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना माना गया है। अपीलान्ट सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमि पर बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एवं उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की अपीलान्तीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नोटिस पर अपीलान्ट के की विधिवत रूप से तामील हुई है। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर अपने बचाव पक्ष में साक्ष्य सबूत पेश करना चाहिए था किन्तु अपीलान्ट बावजूद सूचना के अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। अपीलान्ट द्वारा सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमि किस्म बारानी खसरा नम्बर 950/3235 रकबा 0.30 है0,वाके ग्राम शोप की किस्म बारानी प्रथम भूमि पर उड़द की फसल काशत अतिक्रमण किया है जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं बयानों से सिद्ध है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि अपीलान्ट ने उक्त आराजी खसरा नम्बर पर इससे पूर्व गत वर्ष में भी अतिक्रमण किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली सं0 85/18 दिनांक 15-11-2018 से बेदखल किया जाना जाहिर है। अपीलान्ट ने स्वयं अपील प्रार्थना पत्र में उक्त भूमि पर कब्जा करना स्वीकार किया है तथा दिनांक 2-3-2020 के द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में भी अपना कब्जा हटाना स्वीकारा है एवं भविष्य में कभी कब्जा नहीं करने का निवेदन किया है। इस सम्बन्ध में नायब तहसीलदार सोप से कब्जे के सम्बन्ध में मंगवाई गई। नायब तहसीलदार सोप ने अपने पत्र क्रमांक 439 दिनांक 28-2-2020 से रिपोर्ट प्रेषित की है जिसमें अपीलान्ट मोती पुत्र श्री बाबूलाल बैरवा निवासी सोप ने




जिला कलेक्टर  
टोंक

विवादित भूमि से अपना कब्जा छोड़ कर भूमि खाली करना बताया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलान्त आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार शोप का निर्णय दिनांक 14-10-2019 इस शर्त के साथ अपारत किया जाता है कि अपीलान्त नायब तहसीलदार शोप के समक्ष तरदीक शुदा शपथ पत्र प्रस्तुत करें कि विवादित भूमि से उसने अपना कब्जा छोड़ दिया है एवं वह भविष्य में इस भूमि व अन्य किसी भूमि पर कभी कब्जानहीं करेगा। अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र अनुसार नायब तहसीलदार शोप यह सुनिश्चित करले की अपीलान्त का अतिक्रमित भूमि पर कब्जा नहीं है। यदि अपीलान्त अतिक्रमित भूमि पर से कब्जा नहीं हटाता है या पुनः कब्जा करता है तो अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रहेगा। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 1-9-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
(चिन्मयी गोपाल)  
जिला कलेक्टर, टोक  
जिला कलेक्टर  
टोक